



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1182/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
रमेश भारद्वाज म.न. 3054, बगरू वालों का रास्ता, रामद्वारा की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी की ओर से श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री धनश्याम व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 04-05-2017 के द्वारा सामान्य प्रशासन के मुद्रण के लिए जो निविदायें आमंत्रित की गई थी उसके बाबत 19 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि आवेदन के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने जो आवेदन में सूचना मांगी है जो कार्यालय के साहित्य/भण्डार/लेखा शाखा से संबंधित है और वांछित सूचना काफी वृहद् है। जिसको संकलित करने में समय लगा है सूचना संकलित कर अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27-03-2018 से प्रेषित की गई है। अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाया जाना बताया गया तथा सूचना को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करना बताया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 27-03-2018 एवं उसके साथ अपीलार्थी को प्रेषित 3 पृष्ठ संलग्न किये गये हैं।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 21 दिवस में जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी

को पुनः सूचना अधिप्रमाणित व हस्ताक्षरित कर प्रेषित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त